दीपक उप्रेती
आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव

सत्यमेव जयते

गृह, गृह रक्षा, कारागार, भ्र.नि.ब्यूरो,
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त,
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,
जयपुर–302005

अ0शा0 पत्रांक प0 6(18)गृह–13/2007
जयपुर, दिनांक :– 01.03.2017

प्रिय,

इस वर्ष अक्षय–तृतीया (आखातीज) का पर्व दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को है एवं उसके तुरन्त उपरान्त पीपल पूर्णिमा दिनांक 10 मई, 2017 का पर्व भी आने वाला है। इस अवसर पर बाल विवाहों के आयोजन की प्रबल संभावनाएं रहती है। अतः यह संभावित है कि इस दिन कुछ लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह के आयोजन के लिए तत्पर हो।

गत वर्षो की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागो के कर्मचारियो/अधिकारियों (वृताधिकारी, थानाधिकारीगण, पटवारियों, भू–अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवको, कृषि पर्यवेक्षकों, महिला अधिकार अभिकरणों एवं महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आगनबाडी कार्यकर्त्ता, शिक्षा विभाग के अध्यापकों, नगर परिषद एवं नगर पालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो तथा वार्ड पंचो) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही की जावें।

बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन सहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु एक कार्ययोजना माह मार्च से ही बनाकर कार्य किया जाना उचित होगा। इसके लिए कुछ बिन्दु निम्न प्रकार है:–

1. जिला ब्लॉक व जिला स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करना।
2. ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी है यथा हलवाई, बैण्ड बाजा, पंडित, बाराती, पण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रासपोर्ट, इत्यादि पर बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देना।
3. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठको का आयोजन करना।
4. ग्राम सभाओं मे सामुहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावो की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करना।
5. किशोरियों, महिला समूहों, स्वंय सहायता समूहो व विभिन्न विभागो के कार्यकर्ता जैसे – स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्रथामिक शिक्षा विभागो के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।
6. विवाह हेतु छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर–वधु के आयु का प्रमाण प्रिन्टिग प्रैस वालो के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर–वधु की जन्म तारीख प्रिन्ट किये जाने हेतु बल दिया जावें।
7. सार्वजनिक स्थानों पर सूचना–बॉक्स रखें जावे एवं इस हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें।

दूरभाष : (का.) +91-141-2227063, फैक्स : 2227778, ईपीएबीएक्स-5153222 एक्स. 21516, ई-मेल : acs-home@rajasthan.gov.in

दीपक उप्रेती
आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव

सत्यमेव जयते

गृह, गृह रक्षा, कारागार, भ्र.नि.ब्यूरो,
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त,
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,
जयपुर–302005

8. विद्यालयों के स्तर पर बाल–विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलो को निर्देशित किया जावें।
9. सामूहिक चर्चा से मिली जानकारी के आधार पर गांव/मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाईश करना। जहां आवश्यक हो, कानून द्वारा बाल विवाहों को रोका जाना।
10. बाल विवाह रोकथाम हेतु विभिन्न विभाग यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को जोडा जाना साथ ही पटवारी, अध्यापिका इत्यादि को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने हेतु पाबन्द करना।
11. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के संबंध में अपने–अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही करें।
12. बाल विवाह की रोकथाम के लिए अक्षय तृतीया एक माह पूर्व जिलों में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं उप खण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जावें, जो 24 घण्टे क्रियाशील रहेगें।
13. बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा–6 की धारा 16 के तहत नियुक्त "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियो" (उप खण्ड मजिस्ट्रेटस) की जवाबदेही नियत की जावे एवं जिनके क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होने की घटना होती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

बाल विवाह जैसी सामाजिक–कुरीति को रोकने के लिये इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे और की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग को भिजवाते हुए इस विभाग को भी यथासमय भिजवाने की व्यवस्था करावें।

धन्यवाद सहित

भवनिष्ठ

प्रमुख शासन सचिव, गृह

श्री .....
समस्त जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक,

दूरभाष : (का.) +91 .41-2227063, फैक्स : 2227778, ईपीएबीएक्स-5153222 एक्स. 21516, ई-मेल : acs-home@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सांभागीय आयुक्त राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रैन्जेज, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
9. सम्बन्धित विभाग .....।

प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।

(सीमा कुमार)
शासन उप सचिव,
गृह (मानवधिकार) विभाग